समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर, केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1764

निगरानी क्रमॉक ..../2018

श्रीमति उजमा सुल्तान,
आयु 46 वर्ष,
पत्नि स्व0 श्री अनवर मोहम्मद,
निवासी 176, नीलकंठ कालोनी,
ईदगाह हिल्स, भोपाल ––– निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. **मोहम्मद इकबाल**, व्यस्क,
पुत्र स्व0 मोहम्म्द शकूर

2. **मोहम्मद इफ्तेखार**, व्यस्क,
पुत्र स्व0 मोहम्मद शकूर,
दोनो निवासी मकान नम्बर 176,
नीलकंठ कालोनी, ईदगाह हिल्स,
भोपाल (म0प्र0) ––– प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959

निगरानीकर्ता विद्वान नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा राजस्व प्रकरण 135/अ–6/2017–18 में पारित आदेश दिनॉक 19.02.2018 से व्यथित होकर निम्न ठोस तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा विद्वान नायब तहसीलदार के समक्ष एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 109/110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 का प्रस्तुत किया जाकर यह अभिकथित किया गया कि ग्राम आमोनी पटवारी हल्का क्रमांक 14 तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 208 रकबा 1.820 हेक्टर, खसरा क्रमांक 249 रकबा 0.200 हेक्टर, खसरा क्रमांक 353 रकबा 0.320 हेक्टर, कुल रकबा 2.34 हेक्टर राजस्व अभिलेखो में मोहम्मद शकूर पुत्र इलाहीबक्श के नाम से स्वामित्व में दर्ज है ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू0रा0/2018/1764

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री राजेश गिरी एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री योगेन्द्र गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	